संख्या– 1625/81–2–2020–800(161)/2017

प्रेषक,

डॉ० दीपक कोहली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषयः– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे० आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ०एफ०सी०) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2205/14–2–2018–800(161)/2017 दिनांक 29–8–2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा वांछित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अद्यतन अप्राप्त है, जिसके कारण परियोजना में विलम्ब हो रहा है। अतः कृपया वांछित आख्या स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जाना है। वन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर 1 (3) में निहित व्यवस्था से आच्छादित है। अतएव आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को लीज पर दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाय कि कथित वनभूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जायेगी। कृपया शासन को प्रेषित किये जाने वाले अपने सभी पत्रों में आपत्तियों के उत्तर का उल्लेख करते हुये स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० दीपक कोहली)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक– 464 /11–सी– FP/UP/Others/24318/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 01 ,2020

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

E.D.S प्रतिलिपि– प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक 883 /सी०/33 दिनांक सितम्बर 03, 2020
प्रतिलिपि प्र०व०अ० ओबरा को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।